

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 126/2023

GCMS No. : 2023/266

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. श्री राहुल पुत्र प्रतापमल पंवार जाति घांची निवासी भैरूघाट मैसर्स देवाराम जेठाजी गोदाम कृषि मण्डी 16 जोधपुर रोड पाली 2. शरद पंवार पुत्र प्रतापमल पंवार जाति घांची निवासी भैरूघाट मैसर्स देवाराम जेठाजी गोदाम कृषि मण्डी 16 जोधपुर रोड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।


—: निर्णय :-

दिनांक : 20.3.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधी मय जवाब के उपस्थित। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 07.06.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी मैसर्स देवाराम जेठाजी गोदाम 16 कृषि मण्डी जोधपुर रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम राहुल बताया एवं स्वयं को फर्म का मैनेजर होना बताया। फर्म का निरीक्षण करने पर रिफायंड मूंगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन विभिन्न पैकिंग में रखा हुआ था, जिसे अप्रार्थी आमजन को विक्रय कर रहा था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन के 5 लीटर के जरीकन को खोलकर नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 1600 एमएल रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 440/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन को चार प्लास्टिक बोतल जो साफ, सुखी एवं खाली थी उनमें बराबर भागो में बांटकर नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1886 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाबो में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हस्ताक्षर किये। उक्त फर्म पर प्रथम दृष्टया रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन तेल में मिलावट दिखायी देने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी की फर्म पर रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन के 15 किलोग्राम के 48 टीन तथा 5 लीटर के 11 जरिकेन भरे हुए एवं 1 जरिकेन खुले हुए तेल को सीज किया एवं अप्रार्थी को हिदायत दी की उक्त सीज उत्पाद में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें एवं आगामी आदेश तक उत्पादों का व्ययन न करे। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया नमुना संख्या आर-1886 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1593/एक्ट/2023/1632 दिनांक 16.06.2023 के अनुसार Sub-Standards पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub standards रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से उनके प्रतिनिधि ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि हमारी फर्म से लिये गये नमूने की रिपोर्ट अवमानक पाई गई है जिसे हम स्वीकार करते हैं। चूंकि हमारी फर्म द्वारा यह प्रथम भूल है इसलिए हम इसकी जिम्मेदारी अपने उपर लेते हुए व्यक्तिगत रूप से क्षमाप्रार्थी हैं। अतः निवेदन है कि उक्त प्रकरण में हमें न्यूनतम जुर्माने से दंडित कर प्रकरण का निस्तारण करावें।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2023 को अप्रार्थी की दुकान से रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन का वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1886 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए हैं एवं रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन तेल में मिलावट दिखायी देने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी की फर्म पर रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन के 15 किलोग्राम के 48 टीन तथा 5 लीटर के 11 जरिकेन भरे हुए एवं 1 जरिकेन खुले हुए तेल को सीज किया एवं अप्रार्थी को हिदायत दी की उक्त सीज उत्पाद में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें एवं आगामी आदेश तक उत्पादों का व्ययन न करे। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये मिक्स नमुना कोड संख्या आर-1886 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन का नमुना अवमानक (Sub-standards) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-standards) रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 50000/- व अप्रार्थी संख्या 2 पर 50000/- कुल 100000/- अक्षरे एक लाख रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय




Luak


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी की फर्म पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 38 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी की फर्म पर रिफायंड मुगफली ब्राण्ड सुप्रीम पोस्टमेन के 15 किलोग्राम के 48 टीन तथा 5 लीटर के 11 जरिकेन भरे हुए एवं 1 जरिकेन खुले हुए तेल का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।




(डॉ. राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली